पंजीकृत सं0—824/2013
जी0 आर0 सं0—824/2013
निर्णय की तिथि—02.06.2026
वाद की प्रकृति—अविवाद्य
वाद का परिणाम—दोषमुक्त
उपस्थित—श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

प्रपत्र — ए

न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी

उपस्थितः श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी।

निर्णय तिथि—02.06.2026

अरेर थाना कांड सं0—37/2013, सामान्य वाद सं0—824/2013,
विचारण सं0—1151/2026, सी0 एन0 आर0 नं0—BRMB210005232013

सूचक/सूचिका	राज्य द्वारा देवेन्द्र यादव, पिता—काशी यादव साकिन—कुशमौल, थाना—अरेर, जिला—मधुबनी।
प्रतिनिधित्व	श्री सुभाष चंद्र मंडल, (विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी)
अभियुक्त	1. नवीन पासवान उम्र—43 वर्ष, पिता—भोगेन्द्र पासवान सकिनान—कुशमौल, थाना—अरेर, जिला—मधुबनी।
प्रतिनिधित्व	श्री सरोज कुमार सिंह (विद्वान अधिवक्ता)।

प्रपत्र — बी

प्राथमिकी की तिथि	03.05.2013
आरोप पत्र की तिथि	31.08.2013
संज्ञान की तिथि	22.06.2015
आरोप गठन की तिथि	08.03.2019
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	29.04.2019
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	02.06.2026
निर्णय की तिथि	02.06.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई कोई	अप्रयोज्य

पंजीकृत सं0–824 / 2013
जी0 आर0 सं0–824 / 2013
निर्णय की तिथि–02.06.2026
वाद की प्रकृति–अविवाद्य
वाद का परिणाम–दोषमुक्त
उपस्थित–श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त–1
अभियुक्त का नाम	***नवीन पासवान***
गिरफ्तारी की तिथि	अप्रोज्य
जमानत की तिथि	अप्रोज्य
आरोप गठन की विवरणी	धाराएं–420, 467, 468, 379 भा0 दं0 वि0, 1860
निर्णय	दोषमुक्त
दण्डादेश	अप्रोज्य
धारा–428 दं0 प्र0 सं0 सं सम्बंधित विवरणी	अप्रोज्य

प्रपत्र – सी

अभियोजन / बचाव पक्ष न्यायालय साक्षियों की सूची

ए – अभियोजन

क्रमांक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
01	P.W-1 देवेंद्र यादव	सूचक

बी – प्रतिरक्षा साक्षी यदि अन्य – कोई नहीं

क्रमांक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

सी – न्यायालय साक्षी यदि अन्य – कोई नहीं

क्रमांक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
	अप्रयोज्य	. अप्रयोज्य

अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष न्यायालय प्रदर्श की सूची

ए – अभियोजन – कोई नहीं

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
	P-1/P.W-1	आवेदन पर सूचक का लिखित हस्ताक्षर अंकित है।

बी – प्रतिरक्षा – कोई नहीं

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

सी – न्यायालय प्रदर्श – कोई नहीं

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

डी – वस्तु सामग्री – कोई नहीं

क्रमांक	प्रदर्श सं0	विवरणी
	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

<u>निर्णय</u>

1. *रितेश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 677 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि प्रत्येक विचारण अनुसंधान की यात्रा है जिसमे सत्य का अनुसंधान करना होता है। मार्गरिडा सिक्वेरिया फर्नांडिस बनाम इरास्मो जैक डी सिक्वेरिया, (2010) 03 एस.सी.सी. 370 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रेतर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और अपने परीक्षण में कहा कि सत्य संपूर्ण विधिक प्रक्रिया में मार्गदर्शक सितारा होना चाहिए और न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि संपूर्ण न्याय के लिए सत्य की खोज करे। यह विनियमित किया गया था कि संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया मे सत्य पथप्रदर्शक सितारा होना चाहिए। मात्र सत्य ही न्याय का आधार है। संपूर्ण न्यायिक प्रणाली केवल वास्तविक सत्य को समझने औरउसके अनुसंधान के लिए बनायी गयी है। न्यायिक व्यवस्था के प्रारंभ से ही यह स्वीकृत है कि न्यायालयो के अस्तित्व में निहित मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, पुष्टि और सत्य की स्थापना है।*

अभियोजन का वाद

2. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त ***नवीन पासवान*** के विरूद्ध भा0 दं0 वि0, 1860 की धाराएं–420, 467, 468, 379 के अंतर्गत आरोपों का विचारण चल रहा है।

3. सूचिका द्वारा पुलिस पदधिकारी के समक्ष दिए गए फर्दबयान के आधार पर संक्षिप्त वाद है कि दिनांक–24.03.2013 को नीवन पासवान सूचक के घर आया और सूचक को कहा कि संजीव कुमार का नाम नगर थाना कांड सं0–339 / 12 में अभियुक्त के रूप में आया है। जिस पर्यवेक्षण टिप्पणी का असली कहते हुए सूचक को दिखाया गया था। जिसका एक छायाप्रति सूचक को दिया और कहा कि सदर डी0एस0पी0 से उसका पहचान है है। अगर तीस हजार रूपये दोगे तो सूचक के पुत्र का नाम हटवा देगा। सूचक उसी समय 25,000 / – रूपये घर से निकाल कर नवीन पासवान को दे दिया। उसके बाद सूचक उससे जब उसके पुत्र का केस से निकाला हुआ पर्यवेक्षण टिप्पणी का नकल मांगा लेकिन उसने सूचक को नहीं दिया। इसके बाद सूचक स्वयं अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी सदर के कार्यालय में पता किया तो पता चला कि उसके पुत्र का नाम केस में आया ही नहीं था।

प्रक्रियात्मक अनुपालन

4. उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर अरेर थाना कांड सं0–37 / 2013 दर्ज कर अनुसंधानोपरांत अनुसंधानक द्वारा एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोपपत्र सं0–83 / 2013 न्यायालय को समर्पित किया गया एवं न्यायालय द्वारा नामित अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक–22.06.2015 को धाराएं–420, 467, 468, 379 भा0 दं0 वि0, 1860 में संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तों की उपस्थिति पश्चात् दिनांक–08.03.2019 को संज्ञानित धाराओं में आरोप गठन कर अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किये एवं विचारण की मांग किए।

5. अभियोजन साक्ष्य आदेश दिनांक–05.05.2026 को बंद किया गया और अभियुक्त को धारा–313 द०प्र०सं०,1973 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्त का कथन है कि धाराएं–420, 467, 468, 379 भा0 दं0 वि0, 1860 के अपराध के आरोपो से इंकार किया। इस प्रकार अभियुक्त ने सभी आरोपो से इन्कार किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया।

6. बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है।

विचारणीय प्रश्न

7. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं ?

साक्ष्यों का क्रमबंधन एवं मंतव्य

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में एकमात्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या—***1. देवेंद्र यादव*** का परीक्षण कराया गया है। कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अभियोजन साक्षी संख्य—01 देवेंद्र यादव अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि मैं इस केस का सूचक हूं। यह घटना वर्ष 2012 की है। मधुबनी जिला में प्रीति प्रसाद का कांड हुआ था। नवीन कुमार कुशमौल गांव का रहने वाला फर्जी डी. एस. पी. कार्यालय के स्टाफ बताकर 25 हजार रूपए मुझसे ठग लिया। प्रीति प्रसाद कांड में मेरा लड़का संजीव का नाम फर्जी डालकर ठगा था। डी.एस.पी. कार्यालय मधुबनी से तहकीकात करने के बाद मेरा लड़का का नाम नहीं था। मैं नवीन कुमार से 25 हजार रूपए मांगा तो रूपया नहीं देने के बाद मधुबनी टाउन थाना में बयान दिया उस बयान के आधार पर अरेर थाना में केस दर्ज हुआ जिस प्रतिवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है जिसका प्रदर्श P-1/P.W-1 अंकित किया जाए। आज न्यायालय में नवीन कुमार आया है जिसे मैं पहचानता हूं। जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि यह केस मैं राजी—खुशी से अभियुक्त नवीन कुमार के साथ सुलह कर लिया हूं। सुलहनामा आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है। अभियुक्त के साथ पैसे की लेन—देन की बात समाप्त हो गयी है। वह पैसा मुझे मिल गया है। अभियुक्त ने मेरे साथ किसी भी तरह का कोई जालसाजी नहीं किया है। इस केस के अभियुक्त से अब कोई शिकायत नहीं है। अब यह केस समाप्त हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस केस में आगे और गवाही नहीं देना चाहता हूं।

विधिक प्रावधान

10. *भा.दं.वि.,1860 की धाराएँ–420, 467, 468, 379 के अनुसार क्रमशः धारा–379 के अनुसार जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। धारा–420 के अनुसार जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित याा मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा–467 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित कियाा जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा–468 के अनुसार जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि (वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसकी कूटरचना की जाती है,) छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।*

11. *"ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"*–सबूत का भार उस पर है जो घोषणा करता है, न कि उस पर जो इनकार करता है। निर्दोषता की धारणा आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है जो इस बात पर बल देता है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह दोषसिद्ध न हो जाए।

11.1 *जस्टिनियन* की छठी शताब्दी के डाइजेस्ट में एक सामान्य नियम के रूप में यह प्रावधान है कि सबूत का भार उस पर है जो दावा करता है न कि उस पर जो इनकार करता है।

जैसा कि Sankey *LC (Woolmington v. DPP, 1935)* ने कहा है, अंग्रेजी आपाराधिक विधि के पूरे जाल में, एक सुनहरा धागा सदैव देखा जाना चाहिए कि अभियुक्त के अपराध को साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है। यह आपराधिक विधि में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का एक सिद्धांत है, जिसका औचित्य किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के सामाजिक और विधि परिणामों में पाया जा सकता है, जिस संदर्भ में सिद्धांत प्रक्रिया में त्रुटि के विरूद्ध सुरक्षा का एक उपाय है और राज्य की अपार शक्ति और संसाधनों के लिए एक प्रतिसंतुलन है।

11.2 *न्यायमूर्ति डिक्सन* ने निर्धारित किया कि निर्दोषिता की धारणा एक पवित्र सिद्धांत है जो आपराधिक विधि के मूल में स्थित हैं। निर्दोषिता की धारणा राज्य द्वारा आपराधिक आचरण का आरोपी किसी भी व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करती है। किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति गंभीर सामाजिक और व्यक्तिगत परिणामों का सामना करता है, जिसमें शारीरिक स्वतंत्रता की संभावित हानि, सामाजिक कलंक का शिकार होना और समुदाय से बहिष्कार, साथ ही अन्य सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक नुकसान शामिल हैं।

11.3 इन परिणामों की गंभीरता के आलोक में, निर्दोषता की धारणा महत्वपूर्ण है। "यह सुनिश्चित करता है कि जब तक राज्य किसी आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर देता, तब तक वह निर्दोष है। निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध समाज में यह आवश्यक है। निर्दोषता की धारणा मानव जाति में हमारे विश्वास की पुष्टि करती है; यह हमारी इस धारणा को दर्शाता है कि व्यक्ति तब तक सभ्य और विधि का पालन करने वाले समुदाय के सदस्य हैं जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए"। (*आर. बनाम ओक्स, 1986*)

11.4 *Mahinder Singh Dahiya v. State (2003 CRILJ 1908)* में यह माना गया है कि "अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव का फायदा या अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है, भले ही वह झूठा या असंभव पाया गया हो। ऐसा इस कारण से है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का दायित्व नहीं है। वह संभाव्यता की अधिकता से अपने बचाव की दलील साबित कर सकता है।"

11.5 यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वाद में आरोप गठन दिनांक–08.03.2019 को धाराएं–420, 467, 468, 379 भा0 दं0 वि0, 1860 के अन्तर्गत किया गया है, अतः आरोप अन्तर्गत धाराएं–420, 467, 468, 379 भा0 दं0 वि0, 1860 को गुण–दोष के आधार पर निर्णित किया जाना है। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष एकमात्र साक्षी को प्रस्तुत किया। अभियोजन

साक्षी सं0–01 देवेंद्र यादव अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि यह केस मैं राजी–खुशी से अभियुक्त नवीन कुमार के साथ सुलह कर लिया हूं। सुलहनामा आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है। अभियुक्त के साथ पैसे की लेन–देन की बात समाप्त हो गयी है। वह पैसा मुझे मिल गया है। अभियुक्त ने मेरे साथ किसी भी तरह का कोई जालसाजी नहीं किया है। इस केस के अभियुक्त से अब कोई शिकायत नहीं है। अब यह केस समाप्त हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस केस में आगे और गवाही नहीं देना चाहता हूं। साथ ही सूचक ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उक्त अभियुक्त के साथ सुलह हो जाने की बात कहा है और वे आगे यह केस लड़ना नहीं चाहता हैं। साथ ही अभियोजन के द्वारा किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्षी, चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता के साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन घटना को स्थापित करने में असफल प्रतीत होता है। साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि घटना के संबंध में इनको जानकारी का अभाव है। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को स्थापित करने में असफल प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

12. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के मुख्य परीक्षण–प्रतिपरीक्षण, अभियोजन व प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श, तर्क–वितर्क, अनुश्रवण तथा अभिलेख परिशीलन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि घटना की तिथि एवं घटनास्थल के संबंध में अभियोजन को दर्शित किया है किन्तु घटना की संपूर्ण श्रृंखला, यथा चोरी के लिए दंड, छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना और छल के प्रयोजन से कूटरचना आदि तथ्यों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। परिणामस्वरूप अभियोजन इस न्यायालय का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहा। अभियोजन का यह विधिक दायित्व है कि वह अभियुक्तों पर लगाये गये सभी आरोपों के मूलभूत तत्वों को संदेह के परे इस न्यायालय में सिद्ध करें। साथ ही विधि का यह स्थापित नियम है कि आशंका कितनी भी पुष्ट एवं गंभीर क्यों न हो वह अभियुक्तों को दोषी करार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन स्वंय के दायित्व निर्वहन करने में विफल रहा है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त को दोषी करार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वाद में धारा–420, 467, 468, 379 भा0 दं0 वि0, 1860 में किसी भी सारवान् तत्वों को अभियुक्तों के विरूद्ध सिद्ध नहीं किया गया है। अंततः अभियुक्त दोषमुक्त होने के योग्य है। एतद्द्वारा यह आदेश इसी आलोक में पारित किया जाता है।

पंजीकृत सं0–824/2013
जी0 आर0 सं0–824/2013
निर्णय की तिथि–02.06.2026
वाद की प्रकृति–अविवाद्य
वाद का परिणाम–दोषमुक्त
उपस्थित–श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

आदेश

13. इस प्रकार अभियोजन अपना वाद संदेहातीत सिद्ध करने में असफल रहा है। चोरी के लिए दंड, छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना और छल के प्रयोजन से कूटरचना आदि तथ्यों का संपुष्टि न होना अभियोजन की असफलता का आधार है। अतः इस वाद के अभियुक्त ***नवीन पासवान*** को भा0 दं0 वि0, 1860 की धारा–420, 467, 468, 379 के अभियोग से संदेह का लाभ देते हुए तथा साक्ष्यों के अभाव के आलोक में दोषमुक्त करती है। अतः प्रतिभू को उनके बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार, बेनीपट्टी में प्रविष्ट करायें।

मनीष राय

अनुमंडलीय न्यायिक, दण्डाधिकारी,
बेनीपट्टी
दिनांक –02.06.2026

निर्णय मेरे द्वारा टंकित व शुद्धिकृत किया गया, एवं आज खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। निर्णय कुल 09 पृष्ठों में अभिलेख पर पृथक से संलग्न किया जाता है।

मनीष राय

अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,
बेनीपट्टी
दिनांक –02.06.2026

पंजीकृत सं0–824 / 2013
जी0 आर0 सं0–824 / 2013
निर्णय की तिथि–02.06.2026
वाद की प्रकृति–अविवाद्य
वाद का परिणाम–दोषमुक्त
उपस्थित–श्री मनीष राय,
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी,
बेनीपट्टी, मधुबनी

Date of Judgement/Order	02-06-2026
Date of Reserving Judgement/Order	02-06-2026
Uploading Date	02-06-2026
Uploaded by	KISHAN KUMAR (Stenographer)